

17.05.18

राज्य द्वारा ए०डी०पी०आ० उप०।

आरोपी सहित अधिवक्ता श्री गिर्राज मटले उप०।

प्रकरण आज उपार्पण हेतु नियत है।

आज दिनांक को उपार्पण पर उभयपक्षों के तर्क श्रवण किये गये।

उपार्पण पर विचार किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में आरक्षी केन्द्र गोहद द्वारा अपराध क्रमांक 22/18 अंतर्गत धारा 363, 366 भा०द०स० के अंतर्गत आरोपी मनीराम जाटव के विरुद्ध यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोगपत्र व संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया आरोपी के विरुद्ध भा०द०स० की धारा 363, 366 के विचारण के पर्याप्त तथ्य विद्यमान हैं आरोपी पर आरोपित अपराध अनन्य रूप से माननीय सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है अतः प्रस्तुत प्रकरण द.प्र.स. की धारा 209 के अंतर्गत माननीय सत्र न्यायालय मिण्ड की ओर सादर उपार्पित किया जाता है।


आरोपी को द.प्र.स. की धारा 207 के अंतर्गत अभियोग पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों की निशुल्क प्रतियां प्रदान की जा चुकी हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति नहीं है।

प्रकरण में आरोपी मनीराम जाटव जमानत पर हैं। अतः आरोपी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी तिथि दिनांक 30.05.2018 को प्रातः 11:00 बजे माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में उपस्थित रहें।

उपार्पण की सूचना मालखाना नाजिर एवं जिला लोक अभियोजन अधिकारी मिण्ड को प्रेषित की जावे।

प्रपत्र माननीय सत्र न्यायालय मिण्ड को प्रेषित किये जावे।

  
(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
जे०एम०एफ०सी०, गोहद

मनीराम

